ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित रूप से काम करने

से सम्बन्धित जानकारी प्रपत्र

**सुरक्षा ऑस्ट्रेलिया में काम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।**

ऑस्ट्रेलिया में कानून कहता है कि आपके कार्य-नियोक्ता (आपके बॉस) को ऐसा सभी कुछ सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि आपके काम के परिणामस्वरूप आपको चोट न लगे या आप बीमार न पड़ें। इस कानून को कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा (डब्ल्यूएचएस) या व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) कहा जाता है।

कानून यह भी कहता है कि यदि आपको काम पर चोट लगे, तो आपके बॉस के पास आपके लिए बीमा होना चाहिए। इसे कर्मचारी मुआवज़ा (workers’ compensation) कहा जाता है। यदि आपको काम पर चोट लगती है या आप बीमार पड़ जाते/जाती हैं, तो जब तक आप फिर से काम करने योग्य न हो जाएँ, तब तक के लिए बीमा आपके चिकित्सीय उपचार और आपके वेतन के लिए भुगतान कर सकता है।

इसमें ऑस्ट्रेलिया में सभी कर्मचारी शामिल हैं, भले ही आप एक अस्थायी वीज़ा पर हों।

**आपके बॉस को क्या करना चाहिए**

आपके बॉस को काम पर आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल करनी चाहिए।

आपके बॉस को:

* आपको यह दिखाना चाहिए कि आप अपना काम सुरक्षित रूप से कैसे करें, या यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अन्य व्यक्ति आपको अपना काम सुरक्षित रूप से करना दिखाए
* यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई आपके ऊपर दृष्टि बनाए रखे
* ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए जिसके लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता हो, जैसे यदि आपके पास सही लाइसेंस नहीं है तो कार चलाने या क्रेन अथवा फोर्कलिफ्ट का सँचालन करने के लिए कहना
* सुरक्षित रूप से अपना काम करने के लिए आपको सही साजो-सामान और उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए
* अगर आपको अपना काम करने में सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता हो, तो उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए।

**सुरक्षा उपकरण**

कार्य-सुरक्षा उपकरण को आम-तौर पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) [Personal Protective Equipment (PPE)] कहा जाता है। हरेक प्रकार के काम के लिए विशेष प्रकार के पीपीई होते हैं। इनमें सख्त टोपी, गॉगल्स या आँख के सुरक्षात्मक चश्मे, दस्ताने, जूते, एप्रन या इयर मफ्फ्स शामिल हो सकते हैं।

इन्हें अच्छी हालत में होना चाहिए और आपको आराम से फिट होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि इनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और आपको इन्हें सही तरह से पहनने की ज़रूरत है।

अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ अतिरिक्त साजो-सामान की ज़रूरत है, तो आपको अपने बॉस, और अधिक अनुभवी कर्मचारी या अगर आपके कार्यस्थल में एक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि (एचएसआर) उपलब्ध हो, तो उसके साथ बात करनी चाहिए।

**आपको कार्यस्थल पर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए**

ऑस्ट्रेलिया में कानून यह भी कहता है कि आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते/सकती हैं जिनसे आप कार्यस्थल पर अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल कर सकते/सकती हैं।
आपको:

* अपना कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से फिट होना चाहिए
* अपना कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ होना चाहिए
* आपका बॉस जो बताता है, उसे उस सीमा तक करना चाहिए जब तक वह उचित हो और जब तक आपको यह न लगता हो कि उसे करना असुरक्षित है या वह आपको चोट पहुँचा सकता है
* शराब या मादक-पदार्थों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए या अपने काम पर शराब या अवैध मादक-पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए
* ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे काम पर आपको या अन्य किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है।

यदि आपको यह समझ न आए कि काम पर आपको जो करने के लिए कहा गया है उसे कैसे किया जाए, तो आपको मदद के लिए अपने मालिक या किसी अन्य अधिक अनुभवी कर्मचारी से पूछना चाहिए।

निम्नलिखित ऐसी कुछ बातें है जिनसे आपको काम पर चोट लग सकती है:

* ऐसे किसी उपकरण का प्रयोग करना जिसे आपको किसी ने ठीक से प्रयोग करना न सिखाया हो
* सही सुरक्षा उपकरण (पीपीई) न पहनना या इन्हें ठीक से न पहनना
* जल्दबाजी करना और काम में कटौती करना
* ऐसी गतिविधियाँ करना जो काम करते समय आपके मन की एकाग्रता को भंग करें, (जैसेकि काम करते समय अपने मोबाइल फोन का उपयोग करना)।

ऑस्ट्रेलिया में कानून कहता है कि आपसे जो काम करने के लिए कहा गया है, उसके बारे में आपको सवाल पूछने का अधिकार है और अगर आपको कोई काम करने में चोट लगने का भय हो, तो उसे करने से मना करने का अधिकार है। अगर आपसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाए जो आपको असुरक्षित लगे, तो रुकें और बॉस या अपने सुपरवाइज़र के साथ बात करें।

कभी-कभी काम पर आपका बॉस वह व्यक्ति नहीं होता है जो आपको वेतन का भुगतान करता है, उदाहरण के लिए यदि आप किराए पर कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली किसी एजेंसी के माध्यम से काम करें। अगर आप किराए पर कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली किसी एजेंसी के माध्यम से काम करते/करती हैं, तो आपके वेतन का भुगतान वह एजेंसी करेगी लेकिन काम पर कोई अन्य व्यक्ति प्रभारी होगा। अगर आप काम पर अपने मालिक से बात न करना चाहें, तो आप अपने काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में किराए पर कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के साथ बात कर सकते/सकती हैं।

काम पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में किसी प्रश्न में सहायता दे सके – यह पता लगाएँ कि वह व्यक्ति कौन है और आप उससे कैसे संपर्क कर सकते/सकती हैं।

***अगर आप किसी चीज के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी से सहायता के लिए पूछें।***

**उचित वेतन और शर्तों के लिए आपका अधिकार**

ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम पारिश्रमिक और कार्य- परिस्थितियाँ मौजूद हैं। निष्पक्ष कार्य लोकपाल (Fair Work Ombudsman) कार्य-नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इन अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में सहायता देता है, वह आपको इस बात का पता लगाने में भी सहायता दे सकता है कि आपको कितना वेतन मिलना चाहिए। यदि निष्पक्ष कार्य लोकपाल को ऐसा लगे कि किसी ने कार्यस्थल के कानूनों को तोड़ा है, तो वह इस मामले की जाँच-पड़ताल कर सकता है।

निष्पक्ष कार्य लोकपाल से संपर्क करने के लिए या काम पर अपने अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट [www.fairwork.gov.au](http://www.fairwork.gov.au) देखें या 13 13 94 पर कॉल करें।

**धमकाना (Bullying)**

**यदि किसी को डराने या अपमानित करने के लिए बार-बार कुछ कहा या किया जाए, तो इसे धमकाना कहते हैं। इसमें ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं जैसे उस व्यक्ति के ऊपर हँसना, उसे गंदे नामों से बुलाना, धक्का देना या उसकी चीजों को तोड़ना।**

**कार्यस्थल पर किसी को भी धमकाया नहीं जाना चाहिए। अगर आपको धमकाया जा रहा है, तो अपने बॉस या किसी अन्य कर्मचारी के साथ बात करें और उसे बताएँ कि आप इसे बंद करवाना चाहते/चाहती हैं।**

**अगर यह बंद न हो, तो आप जिस राज्य या क्षेत्र में काम कर रहे/रही हैं वहाँ की सरकार में किसी के साथ बात करें। इस तथ्य-पत्र के अंत में एक सूची दी गई है। आप निष्पक्ष कार्य आयोग** (Fair Work Commission) **के साथ बात भी कर सकते/सकती हैं,** 1300 799 675 **पर कॉल कर सकते/सकती हैं या** [www.fwc.gov.au](http://www.fwc.gov.au) **पर जा सकते/सकती हैं।**

**यदि आपको काम पर चोट लग जाए या आप घायल हो जाएँ, तो क्या करें**

तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करें या किसी चिकित्सक या नर्स को दिखाएँ। आपके पास अपना चिकित्सक चुनने का अधिकार होता है। यह आपका अपना चिकित्सक, स्थानीय चिकित्सक या काम पर मौजूद कोई चिकित्सक या नर्स हो सकता है। आप अपने चिकित्सक से एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिए पूछ सकते/सकती हैं और अपने बॉस को यह प्रमाण-पत्र दिखा सकते/सकती हैं।

अपने बॉस को बताएँ कि आपको चोट लगी है। आपको शायद घटना की रिपोर्ट (incident report) नाम का एक फॉर्म भरने की ज़रूरत होगी। यदि आप घर जाने से पहले ऐसा कर सकें, तो इसके लिए कोशिश करें। अगर आपको फॉर्म भरने में मदद की ज़रूरत हो, तो किसी से अपनी मदद करने के लिए पूछें। फॉर्म में आपसे यह पूछा जाएगा कि जो हुआ था उसे समझाएँ और यह बताएँ कि आपको चोट कैसे लगी। इससे आपकी तरह अन्य व्यक्तियों को चोट लगने या घायल होने से बचाव करने में मदद मिलेगी। ***इस रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है – इससे आपका कर्मचारी मुआवज़ा प्रभावित हो सकता है।***

अगर आपके पास चिकित्सीय बिल हैं या अपनी चोट की वजह से आप काम नहीं कर सकते/सकती हैं, तो आपको काम पर वापिस आने तक अपने चिकित्सीय उपचार के लिए भुगतान करने और समर्थन के लिए कर्मचारी मुआवज़ा मिल सकता है। अपने बॉस से जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में पूछना याद रखें, और कर्मचारी मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक सभी फॉर्मों को भरें।

***अगर आपको चोट लगी हो, तो इस बात को लेकर भयभीत न हों कि आप परेशानी में पड़ जाएँगे/जाएँगी। भले ही आपने कोई गलती की हो, फिर भी आपको चोट की रिपोर्ट करनी चाहिए और मदद के लिए पूछना चाहिए।***

**काम शुरू करने के लिए चेकलिस्ट (जाँच-सूची)**

जब आप पहली बार कोई नया काम शुरू करते/करती हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। आपके कार्य-नियोक्ता (बॉस) या काम का ज्ञान रखने वाले ऐसे किसी अन्य कर्मी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब आप पहली बार कोई नया काम शुरू करें, तो ये बातें की जाएँ। अगर आपको अच्छी तरह से अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती है, तो आप एक दुभाषिए के लिए पूछ सकते/सकती हैं या आपकी भाषा बोलने वाले किसी अन्य कर्मचारी से इन्हें आपको समझाने के लिए कह सकते/सकती हैं।

यह जाँचसूची इस बात को सुनिश्चित करने में आपकी मदद करेगी कि आपको काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता हो।

काम शुरू करने के लिए जाँचसूची

* क्या किसी ने आपको यह दिखाया है कि आपको अपना काम कैसे करना चाहिए, और क्या यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात की जाँच की है कि आप इसे सुरक्षित रूप से कर रहे/रही हैं? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आप अपने बॉस और सहकर्मियों से मिले/मिली हैं, विशेष रूप से वे लोग जो आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जिम्मेदार हैं? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आप यह जानते/जानती हैं कि यदि आप इस बारे में अनिश्चित हों कि क्या करना चाहिए या आपको मदद की ज़रूरत हो, तो किससे पूछना चाहिए? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या किसी ने आपको अपने काम करने की जगह दिखाई है, और प्रवेश व निकास के स्थान, शौचालय, भोजन कक्ष और प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र दिखाए हैं? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आपको ऐसी जगहों के बारे में बताया गया है जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, और क्यों? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या किसी ने आपको यह दिखाया है कि आप सुरक्षित रूप से उन उपकरणों का प्रयोग कैसे कर सकते/सकती हैं जिनका आपको अपने काम में इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या किसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच की है कि आप इनका सही ढंग से उपयोग कर रहे/रही हैं? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आपके पास वे सभी सुरक्षा उपकरण हैं जिनकी आपको ज़रूरत है? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आप यह जानते/जानती हैं कि आप इन्हें कैसे पहन सकते/सकती हैं या इनका उपयोग कैसे कर सकते/सकती हैं?
 **हाँ [ ]  नहीं** [ ]
* क्या आप यह जानते/जानती हैं कि अगर आपको काम पर चोट लग जाए या आप बीमार महसूस करें तो क्या करना चाहिए और कहाँ से मदद या प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करनी चाहिए? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आप यह जानते/जानती हैं कि फायर ब्रिगेड, पुलिस या एम्बुलेंस को कैसे बुलाया जाए? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आपको यह पता है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तो क्या करना चाहिए और इस स्थिति में अलार्म कैसे सुनाई देता है? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आपको यह पता है कि आपातकालीन स्थिति में अपने कार्यस्थल से बाहर कैसे निकलना चाहिए? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**
* क्या आपको यह पता है कि अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में किससे पूछना चाहिए? **हाँ [ ]  नहीं [ ]**

***क्या आपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं में दिया? यदि नहीं में दिया है, तो अपनी* खुद की *सुरक्षा हेतु इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने* बॉस *या किसी अन्य अधिक अनुभवी कर्मचारी से बात करें।***

अगर आप काम पर अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा या फिर कर्मचारी मुआवज़े के बारे में चिंतित हैं, तो आप जिस राज्य या राज्य-क्षेत्र में काम कर रहे/रही हैं, वहाँ की सरकार में किसी के साथ बात कर सकते/सकती हैं। यदि आप किसी ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकारी एजेंसी, या किसी बड़े राष्ट्रीय कार्य-नियोक्ता के लिए काम करते/करती हैं, तो आपको कॉमकेयर से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको सरकार के साथ कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा या कर्मचारियों के मुआवज़े के बारे में बात करने से किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए।

| ***काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें:*** | ***अगर आपको काम पर चोट लग जाए, तो कर्मचारियों के मुआवज़े के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें:*** |
| --- | --- |
| ***न्यू साउथ वेल्स*** सेफवर्कएनएसडब्ल्यूवेबसाइट: [safework.nsw.gov.au](http://www.safework.nsw.gov.au/)ईमेल: contact@safework.nsw.gov.auफोन: 13 10 50 | ***न्यू साउथ वेल्स***राज्य बीमा नियामक प्राधिकरण (एसआईआरए)वेबसाइट: [sira.nsw.gov.au](http://www.sira.nsw.gov.au/) ईमेल: contact@sira.nsw.gov.auफोन: 13 10 50 |
| ***विक्टोरिया***वर्कसेफ विक्टोरियावेबसाइट: [worksafe.vic.gov.au](http://www.worksafe.vic.gov.au/)ईमेल: Info@worksafe.vic.gov.au फोन: 1800 136 089 (free call) | ***विक्टोरिया***वर्कसेफ विक्टोरियावेबसाइट: [worksafe.vic.gov.au](http://www.worksafe.vic.gov.au/)ईमेल: Info@worksafe.vic.gov.au फोन: 1800 136 089 (free call) |
| **क्वींसलैंड**कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा क्वींसलैंड, औद्योगिक संबंध कार्यालय (डब्ल्यूएचएसक्यू)वेबसाइट: worksafe.qld.gov.auफोन: 1300 362 128 | **क्वींसलैंड**वर्ककवर क्वींसलैंडवेबसाइट: [worksafe.qld.gov.au](http://www.worksafe.qld.gov.au/)ईमेल: info@workcoverqld.com.au फोन: 1300 362 128 |
| **वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया**खान, उद्योग विनियमन और सुरक्षा विभागवेबसाइट: [commerce.wa.gov.au/WorkSafe/](http://www.commerce.wa.gov.au/WorkSafe/)ईमेल: safety@dmirs.wa.gov.auफोन: 1300 307 877 | **वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया**वर्ककवर डब्ल्यूएवेबसाइट: [workcover.wa.gov.au](http://www.workcover.wa.gov.au)फोन: 1300 794 744 |
| **साउथ ऑस्ट्रेलिया**सेफवर्क एसएवेबसाइट: [safework.sa.gov.au](http://www.safework.sa.gov.au/)ईमेल: help.safework@sa.gov.auफोन: 1300 366 255 | **साउथ ऑस्ट्रेलिया**रिटर्नटुवर्कएसएवेबसाइट: [rtwsa.com](http://www.rtwsa.com/)ईमेल: info@rtwsa.comफोन: 13 18 55 |
| **ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र**वर्कसेफ एसीटीवेबसाइट: [worksafe.act.gov.au](http://www.worksafe.act.gov.au/)ईमेल: worksafe@act.gov.auफोन: 13 22 81 | **ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र**वर्कसेफ एसीटीवेबसाइट: [worksafe.act.gov.au](http://www.worksafe.act.gov.au/)ईमेल: worksafe@act.gov.auफोन: 13 22 81 |
| **नॉर्दर्न टेरिटरी**एनटी वर्कसेफवेबसाइट: [worksafe.nt.gov.au](http://www.worksafe.nt.gov.au/)ईमेल: ntworksafe@nt.gov.auफोन: 1800 019 115 | **नॉर्दर्न टेरिटरी**एनटी वर्कसेफवेबसाइट: [worksafe.nt.gov.au](http://www.worksafe.nt.gov.au/)ईमेल: datantworksafe@nt.gov.au फोन: 1800 250 713 |
| **तस्मानिया** वर्कसेफ तस्मानियावेबसाइट: [worksafe.tas.gov.au](http://www.worksafe.tas.gov.au/)ईमेल: wstinfo@justice.tas.gov.auफोन: 03 6166 4600 (outside Tasmania)फोन: 1300 366 322 (inside Tasmania) | **तस्मानिया**वर्कसेफ तस्मानियावेबसाइट: [worksafe.tas.gov.au](http://www.worksafe.tas.gov.au/)ईमेल: wstinfo@justice.tas.gov.auफोन: 03 6166 4600 (outside Tasmania)फोन:1300 366 322 (inside Tasmania) |
| **राष्ट्रमंडल**यदि आप किसी ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकारी एजेंसी, या किसी बड़े राष्ट्रीय कार्य-नियोक्ता के लिए काम करते/करती हैं, तो आप कॉमकेयर योजना के तहत आ सकते/सकती हैं। | **राष्ट्रमंडल**यदि आप किसी ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकारी एजेंसी, या किसी बड़े राष्ट्रीय कार्य-नियोक्ता के लिए काम करते/करती हैं, तो आप कॉमकेयर योजना के तहत आ सकते/सकती हैं। |
| **कॉमकेयर** वेबसाइट: [comcare.gov.au](http://www.comcare.gov.au/)फोन: 1300 366 979 | **कॉमकेयर** वेबसाइट: [comcare.gov.au](http://www.comcare.gov.au/)फोन: 1300 366 979 |

***काम पर वेतन और सुविधाओं के बारे में पूछने*** हेतु

निष्पक्ष कार्य लोकपाल

वेबसाइट: [www.fairwork.gov.au](http://www.fairwork.gov.au)

फोन: 13 13 94

***अगर आपको धमकाया जा रहा हो, तो सहायता के लिए पूछने हेतु***निष्पक्ष कार्य आयोग
वेबसाइट: [www.fwc.gov.au](http://www.fwc.gov.au)
फोन: 1300 799 675

# यदि आपको दुभाषिए की ज़रूरत हो, तो 131 450 पर टेलीफोन दुभाषिया सेवा को कॉल करें